

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020/20 भाद्रपद, 1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित:

- (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
- } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 129वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

- (xvii) समिति का 145वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;
- (xviii) समिति का 146वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;
- (xix) समिति का 147वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;
- (xx) समिति का 148वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और
- (xxi) समिति का 149वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

- (ii) समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 60वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है।
- (3) श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2020-21), समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।
- (4) श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2020-21), समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।
- (5) श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री मुकेश अग्निहोत्री, दिनांक 7 सितम्बर, 2020 को अमर उजाला में छपे समाचार शीर्षक "ज़मीन विवाद में गोली मारकर की पटवारघर के चौकीदार की हत्या" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(iii) श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(iv) श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4)

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020

(2020 का विधेयक संख्यांक 10)

मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों आदि को विनियमित करने से सम्बन्धित विधियों का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (संशोधन) विधेयक, 2020

(2020 का विधेयक संख्यांक 8)

सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iii) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020

(2020 का विधेयक संख्यांक 12)

नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iv) श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(v) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान विधेयक 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री बलबीर सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में लोक मित्र केन्द्रों में हो रही धोखाधड़ी पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004
दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयकों पर स्वीकृत संशोधन यदि कोई हो तो वह भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) जोकि दिनांक 11 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	Shri Sukhvinder Singh Sukhu	2	2	-	5	for the words "by thirty per cent", the words " fifty per cent " be substituted.

शिमला-171004
दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) जोकि दिनांक 11 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	Shri Jagat Singh Negi	1	2	(1)	8	for the word "Auditor", the words " Chartered Accountant " be substituted.

शिमला-171004
दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) जोकि दिनांक 11 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	Shri Jagat Singh Negi	1	2	-	7	for the words "forty thousand", the words " one lakh " be substituted.
2.	Shri Rakesh Singha	1	2	-	7	for the words "forty thousand", the words " fifty thousand " be substituted.

शिमला-171004
दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) जोकि दिनांक 11 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	Shri Jagat Singh Negi	1	2	(a)	7 & 8	for the words "forty thousand", the words " one lakh " be substituted.
		1	2	(b)	10	for the word "fourteen", the word " sixty " be substituted.
		1	3	(a) (b)	13 & 15	for the word "two", the word " seven " be substituted.
		2	4	(a) (b)	2 & 4	for the word "two", the word " seven " be substituted.
		2	5	(a) (b)	7&9	for the word "two", the word " seven " be substituted.
2.	Shri Rakesh Singha	1	2	(a)	8	for the word "forty thousand", the words " fifty thousand " be substituted.
		1	2	(b)	11	for the words " fourteen ", the words " forty " be substituted.
		1	3	(a)	13 & 15	for the word "two", the word " six " be substituted.

शिमला-171004
दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) जोकि दिनांक 11 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
	Shri Jagat Singh Negi	1 & 2	3	-	13-20 1-3	sub-Section (2) be deleted.

शिमला-171004
दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****.